(31)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : मनोज गोयल,**
**प्रशासकीय सदस्य**

निगरानी प्रकरण कमांक 3376–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–06–2013 पारित द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 611/अ–13/2012–13

राजेंद्र कुमार तनय रामकिशन यादव
सा. ग्राम टौड़ी तहसील नौगॉव,
जिला छतरपुर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–रमाशंकर तनय हजारी अहिरवार,
सा.सरसेड़ तहसील नौगॉव,
जिला छतरपुर म0प्र0
2–श्रीमती कमलदेवी पत्नि सुरेश चन्द गैड़ा,
सा.ग्राम हरपालपुर तहसील नौगॉव जिला छतरपुर

..... अनावेदकगण

.....

श्री वीरेंद्रकुमार तिवारी, अभिभाषक आवेदक
श्री दिग्यविजय सिंह, अनावेदकगण

.....

## :: आ दे श ::

( आज दिनांक 11/3/15 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–06–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक राजेन्द्र कुमार यादव निवासी ग्राम सरसेड द्वारा एक आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय से दिया गया कि उक्त रूढ़िगत रास्ता अनावेदकगण द्वारा बंद कर व्यवधान उत्पन्न किया गया है । तहसीलदार नौगांव द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर हल्का नं0 3 से मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण कर उक्त रास्ता बंद करने से रोके जाने का आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, नौगांव के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.10.2012 से स्वीकार की गई। उक्त आदेश दिनांक 03.10.2012 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर के समक्ष द्वितीय अपील मय संहिता की धारा 5 दिनांक 23.05.2013 को पेश किया गया, जिसे अपर आयुक्त सागर ने समय सीमा में छूट देना संभव नहीं कहते हुये द्वितीय अपील पारित आदेश दिनांक 25.06.2013 से खारिज कर दी । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के उक्त आदेश दिनांक 25–06–2013 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि आवेदक की कृषिभूमि ग्राम सरसेड पटवारी हल्का नं0 3 तह0 नौगांव जिला छतरपुर भूमि खसरा नं0 1026, 1034 एवं 1035 रकबा 0.655 है0 है जिस पर आवेदक मालिक काबिज है व कास्तकारी करता है और आवेदक की इसी नंबर की लगी भूमि के पास खसरा नं0 1029, 1032, 1035, 1034 एवं 1036 है जो पूर्व भूमिस्वामी जयराम तनय गनपत माली के नाम थी एवं इन्हीं नंबरों की भूमि मेड़ों पर से आवेदक को अपनी भूमि पर आने–जाने का रास्ता पूर्व में से चला आ रहा था जोकि रूढ़िगत रास्ता था, जिसपर से आवेदक अपने कृषि औजार, हल, बैल आदि ले जाता था । उक्त रास्ता अनावेदकगण द्वारा बंद किया गया, जिसपर आवेदक ने नायब तहसीलदार नौगांव के यहां आवेदन पत्र दिया कि अनावेदकगण उक्त रूढ़िगत रास्ता बंद कर व्यवधान उत्पन्न कर रहे है तब नायब तहसीलदार नौगांव द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर पटवारी हल्का नं0 3 से मौके पर स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन लिया जिसमें उक्त रास्ता रूढ़िगत रास्ता पाया गया और जो अनावेदकगण जिन्होंने पूर्व भूमिस्वामी जयराम माली से भूमि क्रय की थी के लिए उक्त रास्ता बंद करने से रोके जाने का आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के यहां अपील की और आवेदक को बगैर सूचना पत्र दिये एवं बगैर सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिये बिना दिनांक 03.10.2012 को आदेश पारित किया, जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं रही क्योंकि आवेदक

टी0वी0 जैसे गंभीर रोग से पीड़ित रहा व उसका इलाज शासकीय टी0वी0 हॉस्पिटल नौगांव जिला छतरपुर में चला जिसमें दिनांक 15.04.2013 को चार सप्ताह भर्ती रहा एवं दिनांक 13.12.2012 को सात सप्ताह भर्ती रहा तथा दिनांक 13.03.2013 को एक माह भर्ती रहा और डॉक्टरों द्वारा सलाह दी गई कि आवेदक पूर्ण रूप से बिस्तर पर आराम करें, चला–फिरी न करें, जिससे आवेदक चल फिर नहीं सका और दिनांक 20.05.2013 को पूर्ण फिटनेस हुआ तब आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के यहां जानकारी प्राप्त की तब जानकारी प्राप्त हुई कि आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 03.10.2012 को आदेश पारित किया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक ने अतिशीघ्र प्राप्त कर दिनांक 23.05.2013 को अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के यहॉ अपील पेश की एवं धारा 5 अवधि अधिनियम का आवेदन पत्र व शपथ–पत्र पेश किया कि अपील में विलम्ब आवेदक की टी0वी0 जैसी गंभीर बीमारी के कारण हुआ है जो क्षमा कर अपील समयावधि में स्वीकार कर गुणदोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2013 को निरस्त कर दिया । लिखित तर्क में यह भी बताया गया है कि आवेदक का अपील करने में विलम्ब शासकीय टी0वी0 अस्पताल नौगांव जिला छतरपुर में भर्ती रहने, इलाज चलने एवं डॉक्टर द्वारा चलने फिरने से मना करने एवं आराम करने की सलाह देने के कारण हुआ है, जो कि क्षमा करन अपील का निराकरण गुणदोषों के आधार पर किया जाना था, जिसे न मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक ने विधिवत सभी मेडीकल प्रमाण–पत्र जो कि शासकीय अस्पताल द्वारा जारी किये गये थे, जिसपर मेडीकल ऑफिसर के हस्ताक्षर व सील है एवं ओ0पी0डी0 नंबर डले हुये है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक टी0वी0 जैसी गंभीर बीमारी के कारण समय अवधि में अपील पेश नहीं कर सका जो कि अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन से स्पष्ट है जिससे आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिवीजन स्वीकार किया जाना आवश्यक है । अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी

स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता प्रकरण में नियत दिनांक को सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे । इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई, परन्तु उनके द्वारा दिनांक 5–2–15 को उपस्थित होकर अंतिम लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये, जिन्हें संज्ञान में लिया जा रहा है । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित में मुख्य रूप से यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधिपूर्वक, विधि के प्रावधानों के अनुसार दोनों पक्षों को विधिवत सुनकर व उन्हें उचित अवसर प्रदान कर आदेश पारित किया है, जो पूर्णतया वैधानिक व उचित है, जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह प्रथम दृष्टया ही विधि के प्रावधानों से परिपूर्ण है । चूँकि निगरानीकर्ता पूर्व में ही अपनी जमीन बेच चुका है, और अब किसी दूसरे की जमीन से आवागमन करने या कृषि कार्य करने हेतु जाने का उसके पास कोई अधिकार शेष नहीं है और न ही निगरानीकर्ता, उत्तरदाता (अनावेदक) की भूमि का उपयोग करने के लिये किसी भी प्रकार से हकदार है । चूँकि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन देकर अनावेदक की भूमि पर से आवागमन के लिये अनुतोष चाहा गया था, तथा निगरानीकर्ता ने अपनी भूमि पर तारफेंसिंग कर रखी है और पूर्व से किसी अन्य रास्ते का आने–जाने के लिये उपयोग करता रहा है । लिखित तर्क में यह भी बताया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा भी ऐसा कोई रूढ़िगत रास्ता आने–जाने के लिये प्राप्त है तथा उस रूढ़िगत रास्ते का जो कि अनावेदक की भूमि से होकर जाता है, का भी कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया है, ऐसी स्थिति में जबरन किसी की भूमि से आने–जाने के लिए रास्ता प्राप्त करना पूर्णतया अनुचित है, ऐसी स्थिति में सरखेड़ा सड़क से क्रेशर जाने वाले रास्ते से वादभूमि तक पहुँचने के लिए नवीन रास्ता दिया जाना भी विधि सम्मत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक विधिवत आदेश है, जिसकी कण्डिकाओं का पंक्तिबद्ध उल्लेख करना तथ्यों का दोहराव है, इसलिये इस न्यायालय से विनम्र निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का

आदेश एवं संलग्न कार्ड दस्तावेजों को नजर में रखते हुये विधिवत आदेश पारित किया जा चुका है, जो न्यायसंगत है । अंत में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश यथावत रखते हुये निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–10–2012 आवेदक की उपस्थिति में पारित नहीं किया गया है अतः आवेदक द्वारा जो अपनी अपील में अपर आयुक्त को उक्त आदेश की सूचना दिनांक 30–4–2013 को होने का आवेदन दिया, शपथपत्र के साथ उसे न मानने का कोई कारण दिखलाई नहीं पड़ता है । इसी प्रकार अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय प्रमाणपत्रों को न मानने के जो कारण दर्शाये हैं वह भी उचित नहीं है क्योंकि उन प्रमाणपत्रों को गलत प्रमाणित करने के कोई साक्ष्य/आधार उनके समक्ष उपस्थित नहीं थे । अनावेदक ने अपने लिखित तर्को में केवल गुणदोषों पर तर्क दिये हैं । समयसीमा के बिन्दु पर कुछ भी नहीं कहा है।

6/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार की जाती है । अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 25–6–2013 निरस्त किया जाता है । अपर आयुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि वह आवेदक की अपील को समयसीमा में ग्राह्य कर उभयपक्षों को सुनकर गुणदोष पर आदेश पारित करें ।

**(मनोज गोयल)**
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर